न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 24 /2019 जिला सीकर ।

1. सागर मल पुत्र श्यामाराम यादव
2. श्योनारायण पुत्र बोदूराम यादव
3. चौथूराम पुत्र बोदूराम यादव
4. बालू राम पुत्र श्यामाराम यादव

   समस्त ज़ाति यादव अहीर , निवासियान ग्रम ढाणी मोडियों की, तन छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू (राजस्थान)
5. घीसा पुत्र बींजा जाट
6. हरलाराम पुत्र सुरजा जाट
7. भागला पुत्र श्योनाथ जाट

   समस्त जाति जाट, निवासीगण कोटडी लुहारवास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बद्री प्रसाद पुत्र डूंगाराम यादव
2. झाबर मल पुत्र डंगाराम यादव

   जाति अहीर निवासियान मोडियों की ढाणी तन छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू (राजस्थान)
3. तहसीलदार खण्डेला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 3.6.2019

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त दीक्षित
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सी.पी.बलाई एवं श्री विजय सिंह राठौड

निर्णय

दिनांक –9.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 3.6.2019 के खिलाफ़ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है –

यह कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत उनकी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2024 रकबा 2.45 हैक्टेयर ग्रम कोटडी लुहारवास तहसील खण्डेला जिला सीकर की पश्चिमी सीमा से लगते हुये खसरा

नम्बर 2033, 2027, 2026, 2019, 2020 की सीमा की पत्थरगढी फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.12.2018 के अनुसार किये जाने हेतु प्रस्तुत किया ।

रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 3 .6.2019 पारित किया कि " प्रश्नगत आराजी 2024 का तहसीलदार खण्डेला द्वारा एक टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाया गया है । उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट में अप्रार्थीगण का सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने का उल्लेख है । यदि अप्रार्थीगण को उक्त सीमाज्ञान से कोई उज्र था तो सीमाज्ञान हेतु गठित टीम के समक्ष दौराने सीमाज्ञान आपत्ति दर्ज करवाते । अप्रार्थीगण ने ना तो अपने जवाब में ऐसा कोई अभिकथन अंकित किया है, ना ही वकील अप्रार्थीगण ने बरवक्त बहस ऐसा कोई तर्क ही प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी अस्वीकार किया जावे । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि– तन ग्राम कोटडी लुहारवास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2024 रकबा 2.45 हैक्टेयर की पश्चिमी सीमा से लगते हुए खसरा नम्बर 2033, 2027, 2026, 2019, 2220 की सीमा की पत्थरगढी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.12.2018 की जावे । तहसीलदार खण्डेला पत्थरगढी हेतु जमा योग्य राशि नियमानुसार जमा ली जाकर पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करावे । उक्तानुसार पत्थरगढी कार्यवाही सम्पादित करवाने हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो ।

प्रति. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 3.6.2019 निरस्त कर दोनों पक्षों व समीप के सभी पडौसी काश्तकारों को सुनवाई का मौका प्रदान करने व सभी खातेदारान की मौके पर कब्जे की वास्तविक जॉच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हे प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्टस की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण 7,11,24,26 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.12.2018 को वर्तमान रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 पत्थरगढी का आधार बना रहे हैं वह रिपोर्ट एक पक्षीय रिपोर्ट एवं उस पर रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पर पत्थरगढी नहीं की जा सकती है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायलाय न पत्थरगढी के आदेश पारित करने में गम्भीर कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि विधि रूप से पत्थरगढी की कार्यवाही एवं सीमाज्ञान की कार्यवाही हेतु सभी पडौसी खातेदारान व काश्तकारों को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान

करना तथा वास्तविक कब्जे की जॉच किया जाना अत्यन्त आवश्यक है , किन्तु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधिक प्रकिया नहीं अपनाई जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को अनुचित लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कानून के विपरीत है । सीमाज्ञान केसमय टीम द्वारा व तहसीलदार द्वारा भी पडौसी खातेदार खसरा नम्बर 2027 के प्रभावित पक्षकारान को कोई नोटिस जारी नहीं किया , सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं ना ही पत्थरगढी के बारे मे रिपोर्ट दिनांक 26.12.2018 के समय खातेदारों के वास्तविक कब्जे की ही कोई जॉच की गई । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश कानून के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रकरण दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का व मौके पर कब्जे की वास्तविक जॉच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हे प्रतिप्रेषित किया जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. (24) 2017 पेज 270 एवं आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1084 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट्स के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2024 ग्राम कोटडी लुहारवास की पश्चिमी सीमा से लगते खसरा नम्बर 2033, 2027, 2026, 2019, 2020 की सीमाज्ञान दिनांक 21.12.2018 को एक टीम गठित कर किया गया ओर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने के आदेश पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । अपीलार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान की कोई अपील / आपत्ति नहीं की गई । अपीलार्थीगण सीमाज्ञान के समय मौके पर उपस्थित थे, किन्तु उनके द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट में हस्ताक्षर नहीं किये । अधीनस्थ न्यायालय के रेस्पोंडेन्ट्स दिनांक 16.1.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे , किन्तु सीमाज्ञान रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं उभयपक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

प्रकरण नें पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी कराने के संबंध में विवाद है । अपीलान्ट्स की मुख्य आपत्ति कि उन्हें अपीलाधीन पारित करने से पूर्व विवादित भूमि के कब्जे काश्त की जॉच किये बिना व प्रभावित व पडौसी खातेदारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये बिना व सुनवाई

का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने से अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने एवं प्रकरण उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का अनुरोध किया है । दूसरी ओर रेस्पोंडेन्ट्स का तर्क है कि अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे जिन्होंने सीमाज्ञान रिपार्ट पर कोई आपत्ति नहीं की । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों के आधार पर उभयपक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पारित अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुये अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया है । रेस्पोंडेन्ट्स के का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.2019 द्वारा स्वीकार किया जाकर तन ग्रम कोटडी लुहारवास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2024 रकबा 2.45 हैक्टेयर की पश्चिमी सीमा से लगते हुए खसरा नम्बर 2033, 2027, 2026, 2019, 2220 की सीमा की पत्थरगढी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.12.2018 के अनुसार किये जाने के आदेश पारित किये हैं । हम समझते हैं कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2024 रकबा 2.45 हैक्टेयर का सीमाज्ञान तहसीलदार खण्डेला के आदेश कमांकः भू.अ./2918/3522–25 दिनांक 19.12.2018 द्वारा एक टीम गठित कर करवाया गया था। यदि उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट से अपीलान्ट्स को कोई आपत्ति थी तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये थी, लेकिन अपीलान्ट्स द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की । अपीलान्ट् ने अपील में ना तो ऐसा कोई अभिकथन अंकित किया है और ना ही वकील अपीलान्ट ने बरवक्त बहस ऐसा कोई तर्क ही प्रस्तुत किया है, जिससे पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का कोई आधार बनता हो । अपीलाधीन आदेश उभयक्षकारों को सुनकर पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा उसमें कोई विधि त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं एवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट मे कोई सार नहीं होने से खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर दिनांक 3.6.2019 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर